बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक: यो04/S.H.A–2/2016/ 1327 /यो0वि0,पटना, दिनाक 18 मार्च, 2019

प्रेषक,

मनीष कुमार वर्मा,
सचिव

सेवा मे,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय: जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर Fire Extinguisher की व्यवस्था के संबंध मे।

प्रसग योजना एव विकास विभाग का पत्राक–1583 दिनाक–27 03.2017.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासगिक पत्र के संबंध मे कहना है कि बिहार स्टूडेट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमत्री निश्चय स्वय सहायता भत्ता योजना एव कुशल युवा कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु राज्य के सभी जिलो में जिला निबंधन एव परामर्श केन्द्र के भवन का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है तथा इन केन्द्रो पर सभी प्रकार के IT Hardware एव अन्य उपकरणो की आपूर्ति एव अधिष्ठापन बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया है।

2 भवन निर्माण विभाग द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला निबधन एव परामर्श केन्द्रो पर Fire Extinguisher की व्यवस्था भी गयी है। यदि किसी जिला निबधन एवं परामर्श केन्द्र में Fire Extinguisher की व्यवस्था नहीं है तो ऐसी स्थिति मे अपने स्तर से इसकी व्यवस्था कराना सुनिश्चित किया जाय।

3 जिला निबधन एव परामर्श केन्द्र पर आग लगने जैसी घटनाओ से बचने हेतु केन्द्र पर कार्यरत सभी कर्मियो को बिल्कुल सजग रहने की आवश्यकता है तथा विद्युत एव अन्य उपकरणो के उपयोग मे सतर्कता बरतना तथा उनका सुरक्षित ढग से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही प्रत्येक कार्य दिवस मे कार्य समाप्ति के उपरात सभी विद्युत उपकरणो को अचूक रूप से बद (Switch Off) किया जाना नितात आवश्यक है। इस संबध मे केन्द्र पर कार्यरत सभी कर्मियों को अपने स्तर से आवश्यक निदेश दिया जाय। साथ ही केन्द्र पर कार्यरत सभी कर्मियो को Fire Extinguisher के उपयोग के सबध मे आवश्यक प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि जिला निबधन एवं परामर्श केन्द्र की सुरक्षा एवं आग लगने जैसी आपदाओ से निपटने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(मनीष कुमार वर्मा)
सचिव

ज्ञापांक यो04/S.H.A–2/2016/ 1327 /यो0वि0,पटना, दिनाक 18 मार्च, 2019

प्रतिलिपि: सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापाक: यो04/S.H.A–2/2016/ 1327 /यो0वि0,पटना, दिनाक 18 मार्च, 2019

प्रतिलिपि· सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

सचिव